



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश
(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन)
8, अरेरा हिल्स ओल्ड जेल रोड, भोपाल-462004



:-विज्ञापन

विज्ञा.क्र./रा.स्वा.मि./मा संसा./सेल-1 /2020/ 16450

भोपाल, दिनांक: 17/12/2020

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म0प्र0 के अन्तर्गत संविदा आधार पर संविदा स्टॉफ नर्स के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करता है यह अनुबंध 31 मार्च 2021 तक के लिये होगा, जिसे आगामी वर्षों की वार्षिक कार्ययोजना में स्वीकृत अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा:-


क्र	पदनाम	रिक्त पद	मासिक मानदेय	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	आयु सीमा
2	संविदा स्टॉफ नर्स	2664	20,000 रुपये प्रतिमाह	<ul style="list-style-type: none"> उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण/हायर सेकेण्डरी, 11वीं कक्षा उत्तीर्ण /हायर सेकेण्डरी (10+2) शिक्षा पद्धति में 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण। मान्यता प्राप्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों से जी.एन.एम./बी.एस.सी. नर्सिंग कोर्स उत्तीर्ण। मध्यप्रदेश नर्सिंग कौंसिल से जीवित पंजीयन होना चाहिये। 	21-40 वर्ष अधिकतम आयु सीमा में (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निशक्त जन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट) (01/01/2021 की स्थिति में)

आवेदन सेम्स लिमिटेड के वेब पोर्टल www.sams.co.in के माध्यम से किया जा सकता है, आवेदन के लिए लिंक दिनांक 28/12/2020 से उपलब्ध की जायेगी। ऑनलाईन जमा करने की अंतिम तिथि 15/01/2021 है। ऑफ लाईन आवेदन किसी भी स्थिति में मान्य/स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

2. पद हेतु आरक्षण निम्नानुसार होगा:-

पदनाम	संविदा स्वीकृत रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित 27%	आर्थिक रूप से कमजोरी वर्ग 10%	अनुसूचित जनजाति 20%	अनुसूचित जाति 16%	अन्य पिछड़ा वर्ग *27%	निःशक्तजनों के लिये 6%				योग
							डी एच	एचएच	ओएच	एमडी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
संविदा स्टॉफ नर्स	2664	720	266	533	426	719	0	0	160	0	2664

- *अन्य पिछड़ावर्ग हेतु 27 प्रतिशत पदों में से माननीय न्यायालयीन प्रकरण व अतिरिक्त महाधिवक्ता के अभिमत अनुसार 13 प्रतिशत पद सुरक्षित रखे गए हैं।
- संविदा स्टॉफ नर्स के 346 पद जो न्यायालयीन निर्णय उपरान्त उस वर्ग की भर्ती प्रक्रिया में उपरोक्त विज्ञापन के पात्र उम्मीदवारों से पूर्ति की जावेगी।
- दिव्यांगजन का आरक्षण क्षैतिजिक (Horizontal) के आधार पर 06 प्रतिशत का प्रस्ताव तैयार किया गया है। निःशक्तजनों के लिए कुल रिक्तियों में से 06 प्रतिशत पद निःशक्तजन के लिए आरक्षित है, जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन नियुक्तियों में सम्मिलित है।
- 3. निर्धारित प्रारूप में नहीं किये गए अथवा अपूर्ण आवेदन स्वयंसेव निरस्त माने जायेंगे।
- 4. अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 5. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. किसी भी आवेदन को बिना कारण बताये स्वीकृत / निरस्त करने अथवा प्रक्रिया करने का अधिकार होगा।



मुख्य प्रशासकीय अधिकारी
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश